रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 22, 2015/माघ 2, 1936
No. 23] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 22, 2015/MAGHA 2, 1936

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)

अधिसूचना

गुड़गांव, 21 जनवरी, 2015

सं. जेईआरसी-8/2009.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 के साथ पठित धारा 91(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों तथा इसके कारण प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशनों के बाद संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ शासित प्रदेशों के लिए) एतदद्वारा गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्र (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) विनियम, 2009 (11 फरवरी, 2010 को अधिसूचित) में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है।

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण:**

1. इन विनियमों को गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2015 कहा जाएगा।

2. ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **विनियम 4 में संशोधन**

विनियम 4 के दूसरे परंतुक में शब्द 'चार' के स्थान पर शब्द 'पांच' प्रतिस्थापित किया जाता है।

3. **विनियम 5 में संशोधन**

विनियम 5 के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाता है।

1. तत्पश्चात् "(ग) व्यावसायिक विशेषज्ञ और (घ) स्टॉफ परामर्शदाता" और "(ख)" के पूर्व आने वाला "और" शब्द हटाया जाता है।

4. विनियम 7 में संशोधन

1. मौजूदा विनियम की संख्या विनियम 7(1) लिखी जाती है।

2. विनियम 7(2) के रूप में निम्नलिखित जोड़ा जाता है:—

व्यक्तिगत परामर्शदाता का मुख्यालय सामान्यता आयोग का मुख्यालय होगा।

5. नए विनियम 7क और 7ख को जोड़ना

विनियम 7 के बाद नए विनियम 7क और 7ख को निम्नानुसार जोड़ा जाता है:

विनियम 7क व्यावसायिक विशेषज्ञ

आयोग विशिष्ट प्रकृति की व्यावसायिक विशेषज्ञता की आवश्यकता के बारे में संतुष्ट होने पर तत्काल और विशिष्ट प्रकृति के मुद्दे पर सलाह देने के लिए एक व्यावसायिक विशेषज्ञ को नियुक्त करने का निर्णय ले सकता है।

विनियम 7ख स्टॉफ परामर्शदाताओं

यदि आयोग इस बात से संतुष्ट हो कि आयोग के कार्य की मात्रा में वृद्धि हुई है या विभिन्न बाधाओं के कारण नियमित पद नहीं भरा जा सकता है तो आयोग को उसके कार्य में सहायता करने के लिए स्टॉफ परामर्शदाता की नियुक्ति की जा सकती है।

6. विनियम 10 में संशोधन

विनियम 10(8) में '5 लाख' आंकड़े के स्थान पर '10 लाख' को प्रतिस्थापित किया जाता है।

7. विनियम 13 में संशोधन

विनियम 13 (2) के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाता है।

समिति तकनीकी और वित्तीय दोनों वार्ता कर सकती है। जहां तकनीकी वार्ता आयोजित की जाती है, वहां इसे परामर्शदाता की पूर्व योग्यता से पहले किया जाएगा। वित्तीय वार्ता वित्तीय प्रस्ताव के किसी पहलू के संदर्भ में की जा सकती है जिसमें स्टॉफ माह के लिए यूनिट दरें, आकस्मिक राशि, यात्रा और रहने के खर्च की एकमुश्त प्रतिपूर्ति तथा भुगतान शर्तें शामिल हैं।

8. विनियम 14 में संशोधन

विनियम 14(2) के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाता है:—

विनियम 13(2) के अंतर्गत गठित मूल्यांकन समिति बोलियों के मूल्यांकन के उद्देश्य से प्रत्येक मापदण्ड को दिए जाने वाले अधिमान (ऊपर निर्धारित श्रृंखला में) निर्णय लेगी, और तकनीकी प्रस्तावों/बोलियों को कम से कम 70% अधिमान देगी तथा आबंटन हेतु आयोग के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करेगी।

9. विनियम 17 में संशोधन

विनियम 17 में '5 लाख' आंकड़े के स्थान पर '10 लाख' आंकड़े प्रतिस्थापित किया जाता है।

10. नया विनियम 18क और 18ख को जोड़ना

विनियम 18 के बाद नया विनियम 18क और 18ख को निम्नानुसार जोड़ा जाता है:-

विनियम 18क व्यावसायिक विशेषज्ञ का चयन

i.आयोग द्वारा व्यावसायिक विशेषज्ञों को नियुक्त करने का निर्णय लेने पर आयोग के सचिव प्रस्ताव बनाएंगे। वे एक सूची तैयार करेंगे जिसमें कम से कम दो व्यावसायिक होंगे जिन्हें विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षित विशेषज्ञता प्राप्त होगी, जो परामर्शी कार्य स्वीकार करने के इच्छुक होंगे और प्रत्येक से शुल्क मांगा जाएगा।

ii. आयोग ऐसे शुल्क के भुगतान पर परामर्शदाता के रूप में नियुक्त विशेषज्ञ के नाम को अनुमोदित कर सकता है और ऐसी शर्तों को उपयुक्त समझा जाएगा बशर्ते कि इस प्रकार निर्धारित शुल्क व्यक्तिगत विशिष्ट कार्य के लिए रु.10 (दस) लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।

विनियम 18ख स्टॉफ परामर्शदाता का चयन

i. आयोग, स्टॉफ परामर्शदाता को नियुक्त करने का निर्णय लेने के बाद राष्ट्रीय समाचार-पत्रों और आयोग की वेबसाइट में एक नोटिस प्रकाशित करके आवेदन आमंत्रित करेगा, तथा इच्छुक व्यक्तियों को आवेदन प्रस्तुत करने के लिए चार सप्ताह की अवधि का यथासंभव समय देगा।

ii. नोटिस प्रकाशित करने से पूर्व, आयोग का सचिव नियमित पदों पर भर्ती को अधिशासित करने वाले आयोग के विनियमों के संगत प्रावधानों को देखते हुए योग्यता तथा अपेक्षित अनुभव की पहचान करेगा।

iii. स्टॉफ परामर्शदाता को, योग्यता और 3 से 15 या अधिक वर्षों के अनुभव की लम्बाई के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा तथा समेकित शुल्क का प्रस्ताव दिया जाएगा जो पद के मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते के बराबर होगा, जिसके लिए स्टॉफ परामर्शदाता की नियुक्ति की जा रही है।

iv. स्टॉफ परामर्शदाता को प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए कार्यकाल के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।

v. आयोग एक चयन समिति का गठन करेगा जो उम्मीदवारों के साथ बातचीत करेगी और आयोग के अनुमोदन के लिए स्टॉफ परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्ति हेतु उपयुक्त व्यक्तियों के नाम की सिफारिश करेगी।

11. अनुसूची में संशोधन (व्यक्तिगत परामर्शदाताओं के लिए शुल्क)

प्रति मानव दिवस अधिकतम शुल्क मे संबंधित कॉलम 2 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:-

सलाहकार	रु. 7500/-
वरिष्ठ परामर्शदाता	रु. 5500/-
परामर्शदाता	रु. 3000/-

कीर्ति तिवारी, सचिव

[विज्ञापन—III/4/असा./218—आई/267/14]

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For The State of Goa And Union Territories)

NOTIFICATION

Gurgaon, the 21st January, 2015

No. JERC- 8/2009.—In exercise of powers conferred under Section 91 (4) read with Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa and Union Territories), hereby makes the following amendments to the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Appointment of Consultants) Regulations, 2009 (Notified on 11th February, 2010).

1. Short title and commencement:

1. These Regulations may be called The Joint Electricity Regulatory Commission for Goa & Union Territories (Appointment of Consultants) (First Amendment) Regulations, 2015.
2. These Regulations shall come into force from the date of their publication in official Gazette.

2. Amendment in Regulation 4

3. Amendment in Regulation 5

Following is added in the end of Regulation 5

1. "(c) Professional Experts and (d) Staff Consultants" and the word 'and' appearing before "(b)" is than deleted.

4. Amendment in Regulation 7

1. The existing Regulation is numbered as Regulation 7 (1)
2. Following is added as Regulation 7 (2):-
   The Headquarters of the individual consultant normally shall be the Headquarters of the Commission.

5. Insertion of new Regulations 7 A and 7 B

After Regulation 7 new Regulations 7 A and 7 B are added as under:-

Regulation 7 A Professional Experts
The Commission on being satisfied on the need for professional expertise of specialized nature may decide to engage a professional expert for advice on the issue of urgent and specialized nature.
Regulation 7 B Staff Consultants

Staff Consultants may be appointed for assisting the Commission in discharging its functions, if the Commission is satisfied that there has been increase in the quantum of work of the Commission or a regular post could not be filled due to various constraints.

6. Amendment in Regulation 10

The figure '5 Lakhs' is substituted by the figure '10 Lakhs' in Regulation 10 (8).

7. Amendment in Regulation 13

Following is added in the end of Regulation 13 (2):-

The Committee may enter into both technical and financial negotiations. Where technical negotiations are conducted, the same will be conducted prior to pre qualification of consultants. Financial negotiations can be entered into for any aspect of the financial proposal including the unit rates for staff months, contingency amounts, lump sum reimbursement of travel and living expenses and payment terms.

8. Amendment in Regulation 14

Following is added in the end of Regulation 14 (2):-

The evaluation Committee appointed under Regulation 13 (2), shall decide the weightage to be allocated (in the range prescribed above) to each of the parameters for the purpose of evaluation of bids, allocating at least 70% weightage to technical proposals/bids, and obtain the approval of the Chairperson of the Commission for the allocation.

9. Amendment in Regulation 17

The figure '5 Lakhs' is substituted by the figure '10 Lakhs' in Regulation 17.

10. Insertion of new Regulations 18 A and 18 B

After Regulation 18 new Regulations 18 A and 18 B are added as under:-

Regulation 18 A Selection of Professional Experts

i. On the Commission having decided to engage professional experts, the Secretary of the Commission shall formalize the proposals. He/She shall prepare a list of not less than two professionals having the requisite expertise in the specialized field, their willingness to accept consultancy work and the fee demanded by each of them.

ii. The Commission may approve the name of the expert for engagement as consultant on payment of such fee and on such terms as may be considered appropriate provided that the fee so decided shall not exceed Rs. 10 (Ten) lakhs for an individual specialized assignment of work

Regulation 18 B Selection of Staff Consultant

i. The Commission, after having decided to engage a staff Consultant, shall invite applications on tenure basis, by publishing a notice in the National Dailies and on the Commission's Website, and by giving, as far as possible, a period of four weeks for inviting application by the interested persons.

ii. Before publishing the notice, the Secretary of the Commission shall identify the qualification and experience requirements keeping in view the relevant provisions of the Commission's Regulations governing the recruitment against regular posts.

iii. The staff consultant may be categorized based on qualification and length of experience ranging from 3 to 15 or more years and offered a consolidated fee which shall be equivalent to basic pay plus dearness allowance of the post against which the staff consultant is being engaged.

iv. The staff consultant shall be engaged on tenure basis, initially for a period of one year.

v. The Commission shall constitute a Selection Committee which shall interact with the candidates and recommend names of suitable persons for engagement as staff consultants for approval of the Commission.

11. Amendment in Schedule (Fee for Individual Consultants)

Following amendment is made in column 2 relating to Maximum Fee per man-day

Advisors	Rs. 7500/-
Senior Consultants	Rs. 5500/-
Consultants	Rs. 3000/-

KEERTI TEWARI, Secy.

[ADVT-III/4/Exty./218-I/267/14]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064